न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, दुमका

नामान्तरण अपील वाद संख्या–14/2019–20

नुरुल खान, पिता–स्व0 ईकबाल खान एवं वगैरह मो0–टीन बाजार तेलीपाड़ा, दुमका एवं अन्य

वनाम

मो0 जब्बर, पिता–स्व0 उस्मान खान एवं वगैरह मो0–बागनोचा, आजाद नगर, घाट रसिकपुर दुमका

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ
1	2	3
	प्रस्तुत नामान्तरण अपील वाद संख्या – 14/2019–20 में नुरुल खान, पिता–स्व0 ईकबाल खान, मो0–टीन बाजार तेलीपाड़ा, दुमका एवं अन्य के द्वारा मो0 जब्बर, पिता–स्व0 उस्मान खान, मो0–बागनोचा, आजाद नगर, घाट रसिकपुर दुमका एवं अन्य के विरुद्ध अंचल अधिकारी, दुमका के नामान्तरण वाद सं0–27/2012–13 में पारित आदेश दिनांक–12.07.2012 के विरुद्ध नामांतरण अपील वाद दायर किया गया है। अपीलकर्ता द्वारा अपने आवेदन में वर्णित किया है कि नामांतरण वाद सं0–27/12–13 के शुद्धि पत्र में मो0 नुरुल एवं मो0 वाहिद का नाम छोड़कर उनके भाईयों के द्वारा उनके हिस्से से ज्यादा जमीन का नामांतरण अपने नाम से करा लिया गया है। अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों एवं विद्वान अधिवक्ता के बहस को सूना। दस्तावेजों एवं अंचल अधिकारी के नामान्तरण वाद सं0–27/12–13 के अवलोकन से स्पष्ट है कि पंजी–II के रैयत मो0 ~~अहमद~~ हियात के नाम से कुल 5 कट्ठा 14 धुर जमीन है। मो0 हियात के एकमात्र पुत्र मो0 ईकबाल खान के सात पुत्रों में मो0 नुरुल एवं मो0 वाहिद को छोड़कर जमीन का बँटवारा कर नामान्तरण अपने नाम से करा लिया गया है, जबकि 16 धुर करके सात भाईयों के बीच बँटवारा होना चाहिए। अतः अंचल अधिकारी, दुमका को आदेश दिया जाता है कि वे नामांतरण वाद सं0–27/12–13 में आंशिक संशोधन करते हुए पंजी–II के रैयत मो0 ~~अहमद~~ हियात के एकमात्र पुत्र मो0 ईकबाल खान के सातों पुत्रों के नाम से बराबर–बराबर भूमि का नामांतरण करेंगे। इसी समीक्षा के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। भूमि सुधार उपसमाहर्ता दुमका। भूमि सुधार उपसमाहर्ता दुमका।	

Digitally signed by BINAY MANISH R LAKRA
Date: 2021.10.24 22:21:04 +05:30
Location: 192.168.225.52